***CNR.No*-UPBB050007502022**

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), न्यायालय कक्ष सं0 20, बाराबंकी।

इजराय वाद सं0 18/2022

मो0 इशहाक उर्फ मोहम्मद इशाक बनाम नारायण दास पांचाल व अन्य।

दिनांकः–10.05.2025

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई।

प्रार्थना पत्र क–39 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र क–39

2. प्रार्थना पत्र क–39 में पक्षकारों द्वारा कथन किया गया है कि डिक्रीदार द्वारा एक किता प्लाट गाटा सं0 698 मिन0 रकबा 221.11 वर्गमीटर स्थित ग्राम ओबरी परगना वत तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी जिसकी चौहद्दी व पैमाइश नीचे दी जा रही है को पंजीकृत विक्रय दिनांकित 25.01.2012 उसके मो0 इसहाक पुत्र मो0 बख्श से क्रय किया गया और कब्जा व दखल प्राप्त किया और बाद कार्यवाही दाखिल खारिज डिक्रीदार का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है व दर्ज चला आ रहा है। मो0 इसहाक पुत्र मो0 बख्श द्वारा उक्त प्लाट बजरिये पंजीकृत विलेख दिनांक 09.06.2005 को श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव से क्रय किया था और कब्जा व दखल प्राप्त किया था और राजस्व अभिलेखों में मो0 इसहाक का नाम दर्ज हुआ था। मो0 इसहाक से ही डिक्रीदार इश्तियाक अहमद व मो0 रफीक द्वारा क्रय किया गया था। मो0 इसहाक के उक्त प्लाट पर नारायनदास पांचाल आदि द्वारा वर्ष 2006 में हस्तक्षेप किया था तब मो0 इसहाक द्वारा मूलवाद संख्या 614/2006 श्रीमानफ जी के न्यायालय पर मो0 इसहाक बनाम नारायनदास पांचाल वाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 16.08.2011 को निर्णीत होकर डिक्री हो गया जिसके विरूद्ध नारायनदास पांचाल द्वारा एम0सी0सी0 वाद सं0 139 सन् 2011 प्रस्तुत किया गया जिसमें बैनामें के उपरान्त इश्तियाक अहमद व रफीक पक्षकार बने और आपत्ति प्रस्तुत की उक्त एम0सी0सी0 वाद आदेश दिनांक 04.08.2018 से निरस्त हो गया जिसके विरूद्ध नारायनदास पांचाल आदि प्रकीर्ण अपील सं0 26/2018 प्रस्तुत की गयी उक्त अपील दिनांक 26.02.2019 को निरस्त हो गयी। उपरोक्त तौर पर मो0 इसहाक बैनामे के आधार पर मालिक माने गये और उनके उपरान्त इश्तियाक अहमद व रफीक बैनामें से मालिक हुए और वर्तमान में डिक्रीदार है।

3. विपक्षी विजय कुमार द्वारा नरायनदास पांचाल आदि के उत्तराधिकारी सुरेन्द्र कुमार पांचाल, नरेन्द्र कुमार पांचाल और वीरेन्द्र कुमार पांचाल से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.04.2019 द्वारा जो विक्रय विलेख कराया था। उक्त विक्रय विलेख के विरूद्ध डिक्रीदार द्वारा मूलवाद संख्या 249 सन् 2019 वाद प्रस्तुत किया गया जो इश्तियाक अहमद आदि बनाम विजय कुमार दर्ज हुआ और उक्त मूलवाद दिनांक 09.11.2021 को डिक्री हो गया। डिक्रीदार इश्तियाक अहमद व रफीक को कब्जा प्रदान कर दिया गया है और विजय कुमार का उक्त प्लाट से कोई सम्बन्ध नहीं रह गये है और इश्तियाक अहमद व रफीक व विजय कमार के प्लाट अलग अलग है। इश्तियाक अहमद व रफीक के प्लाट

के जानिब पूरब विजय कुमार का प्लाट है। पक्षों के मध्य सुलह हो गयी है और उक्त सुलहनामा के आधार पर इजराय निर्णीत करने की कृपा की जावे और सुलहनामा निर्णय का अंश घोषित करने की कृपा की जावे।

4. प्रार्थना पत्र क–39 उभय पक्षों द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। डिक्रीदार की ओर से शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द शंकर द्वारा व निर्णीत ऋणी की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम नरायन मिश्रा द्वारा की गयी है। उभय पक्षों द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत वाद में सुलहनामा होने का कथन किया गया तथा इजराय वाद को सुलहनामा के आधार पर निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उभय पक्षो द्वारा सुलहनामा क–39 प्रस्तुत किया गया है उक्त के आधार पर इजराय की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अतः डिक्रीदार की पूर्ण संतुष्टि के आधार पर इजराय वाद को निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

6. उल्लेखनीय है कि इस वाद में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः इजराय वाद की कार्यवाही पूर्ण सन्तुष्टि के आधार पर पूर्ण की गयी। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत डिक्रीदार की पूर्ण संतुष्टि के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है तथा इजराय वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. इजराय वाद की कार्यवाही पूर्ण सन्तुष्टि के आधार पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी0डि0),
न्यायालय कक्ष सं0 20, बाराबंकी।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 1962